

सं०सं० 7/वि०विविध-05/2013

झारखण्ड सरकार,
वित्त विभाग ।

1113/18.32

राँची/दिनांक -10.10.14

संकल्प

विषय:- राज्य सरकार के सेवीवर्ग को स्वीकृत किये जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम राशि की वर्तमान अधिसीमा (रु० 7.50 लाख) में अभिवृद्धि के संबंध में ।

वित्त विभाग के संकल्प संख्या 420, दिनांक 21.01.2000 में निहित प्रावधानों द्वारा राज्य सरकार के सेवीवर्ग के लिये गृह निर्माण अग्रिम, उनके 50 माह के मूल वेतन अथवा भूमि पर मकान/प्लैट की अनुमानित लागत अथवा कर्मियों द्वारा भुगतान करने की क्षमता के अनुसार परिकलित राशि अथवा रु० 7.50 लाख, इनमें से जो कम हो, निर्धारित किया गया था । इस संकल्प को निर्गत हुए लगभग 14 वर्ष बीत चुके हैं तथा इस अवधि में जमीन के मूल्य एवं गृह निर्माण के सामग्रियों के मूल्यों में कई गुणा वृद्धि हो चुकी है जिसके कारण राज्य सरकार द्वारा देय सीमा अब अप्रासंगिक हो गई है । अर्थात् वर्तमान अधिसीमा में कोई भी कर्मी जमीन खरीद कर अपना गृह निर्माण/प्लैट क्रय का कार्य पूरा नहीं कर पाता है ।

भारत सरकार, आर०बी०आई०, नाबार्ड, हुडको द्वारा प्रदत्त किये जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित प्रावधानों तथा कर्नाटक सरकार द्वारा अपने सेवीवर्ग को स्वीकृत किये जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित प्रावधानों का अध्ययन किया गया । इन प्रावधानों के अंतर्गत, भारत सरकार, आर०बी०आई० एवं नाबार्ड द्वारा अधिकतम राशि रु० 30.00 लाख, हुडको द्वारा रु० 20.00 लाख एवं कर्नाटक सरकार द्वारा अधिकतम अधिसीमा रु० 25.00 लाख का प्रावधान किया गया है ।

जमीन के मूल्य एवं गृह निर्माण की सामग्रियों के मूल्यों में कई गुणा वृद्धि के मददेनजर राज्य के सेवीवर्ग को स्वीकृत किये जाने वाले गृह निर्माण अग्रिम से संबंधित संकल्प संख्या 420, दिनांक 21.01.2000 में निहित प्रावधानों में संशोधन/अभिवृद्धि की आवश्यकता महसूस की जा रही थी ।

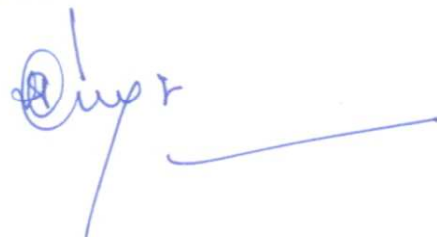
सम्यक् विचारोपरांत राज्य सरकार ने गृह निर्माण अग्रिम की स्वीकृति संबंधी वित्त विभागीय संकल्प सं० 420, दिनांक 21.01.2000 में संशोधित करने का निर्णय लिया है जिसके अन्तर्गत राज्य के सेवीवर्ग को गृह निर्माण अग्रिम निम्नरूपेण स्वीकृत किया जायेगा -

1. प्रयोजन: निम्नलिखित प्रयोजनों के लिये अग्रिम स्वीकार्य है: -

(i) कर्मचारी द्वारा अपने या संयुक्त रूप से अपने पति/पत्नी के स्वामित्व वाले प्लॉट पर एक नये मकान का निर्माण/अथवा

(ii) एक प्लॉट खरीदना और उस पर मकान बनाना/अथवा

(iii) सहकारी भवन समितियों/स्व-वित्त योजनाओं/हाउसिंग बोर्डों/विकास प्राधिकरण एवं अन्य वैधानिक अर्द्ध सरकारी निकायों के माध्यम से एक मकान/प्लैट खरीदना और निर्माण करना या प्राप्त करना ।



(iv) मकान बनाने के लिये अन्य स्रोतों से लिये गये ऋण या अग्रिम की अदायगी, भले ही मकान का निर्माण शुरू कर दिया गया हो, बशर्ते कि गृह निर्माण अग्रिम का आवेदन अन्य स्रोतों से लिये गये ऋण के पूर्व ही दिया गया हो ।

(v) लागत की अधिकतम सीमा के अधीन किसी रिहायशी कॉलोनी में उस प्लॉट, जिस पर दुकान एवं आवास का निर्माण किया जाना है, पर भवन के केवल रिहायशी हिस्से का निर्माण ।

(vi) मकान/फ्लैट प्राइवेट पार्टी यानी रजिस्टर्ड बिल्डर, आर्किटेक्ट या गृह निर्माण सोसाइटी आदि से खरीदना, किन्तु किसी प्राइवेट व्यक्ति से नहीं ।

2. शर्तें :- उस प्लॉट की स्थिति में, जिस पर कर्मचारी का अपनी पत्नी/अपने पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व है, अग्रिम के भुगतान के लिये पति और पत्नी दोनों को उस भूमि/मकान को प्रतिभूति के रूप में झारखण्ड के राज्यपाल के पास बंधक रखने के लिये इच्छुक होना चाहिये। ऐसी स्थिति में पति/पत्नी, जैसा भी मामला हो, की ओर से आवेदन पत्र के साथ एक पत्र भेजा जाय कि यदि आवेदन किया गया भवन निर्माण अग्रिम स्वीकृत हो जाता है तो पति/पत्नी अग्रिम लौटाने के लिये भूमि/संपत्ति के अपने हिस्से को अपनी पत्नी/पति के हिस्से के साथ संयुक्त रूप से प्रतिभूति के रूप में बंधक रखेंगे ।

केवल भूमि की खरीद के लिये गृह निर्माण अग्रिम अनुदेय नहीं है ।

किराया-क्रय पद्धति के आधार पर मकान खरीदने के लिये गृह निर्माण अग्रिम स्वीकार्य नहीं है, परन्तु फ्लैटों/मकानों के किराया क्रय को सीधी खरीद में बदलने पर यह अनुदेय हो जाता है, बशर्ते कि मकान स्टेट हाउसिंग बोर्डों या इसी प्रकार सरकार द्वारा नियंत्रित निकाय से खरीदा जाता है ।

सहकारी समितियों/स्व-वित्त योजनाओं को पेशगी की रकम या आरंभिक रजिस्ट्रेशन की राशि का भुगतान करने के लिये गृह निर्माण अग्रिम अनुमान्य नहीं है ।

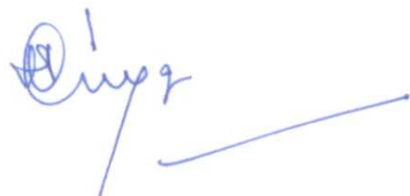
3. पात्रता :-

- (i) सभी स्थायी कर्मचारी,
- (ii) अस्थायी कर्मचारी जिनकी सेवा 10 वर्ष से कम ना हो, बशर्ते वे किसी अन्य राज्य सरकार के अधीन स्थायी रूप से नियुक्त ना हो ।
- (iii) निलम्बित कर्मचारी पात्र है किन्तु उसे दो स्थायी कर्मचारियों की ओर से बाँड देना होगा ।

टिप्पणी :- जब पति और पत्नी दोनों सरकारी कर्मचारी हो, तो दोनों में से केवल एक को ही अग्रिम अनुमान्य होगा ।

4. अग्रिम प्रदान करने के लिये शर्तें :-

- (i) कार्य के स्थान पर अथवा उस स्थान पर जहाँ आवेदक सेवानिवृत्ति के पश्चात् अंतिम रूप से बसना चाहता है, मकान का निर्माण करने के लिये अग्रिम देय है ।
- (ii) इन नियमों के तहत सेवा की संपूर्ण अवधि के दौरान केवल एक बार ही अग्रिम स्वीकार्य है ।



(iii) निर्माण किये जाने वाले/खरीदे जाने वाले मकान की लागत (भूमि की लागत को छोड़कर), निर्धारित अधिकतम लागत की सीमा से अधिक नहीं होनी चाहिये । विशिष्ट मामलों में, अधिकतम लागत की सीमा में अधिकतम 25 प्रतिशत तक की छूट दी जा सकती है ।

(iv) कर्मचारी ने इस प्रयोजन के लिये अन्य सरकारी स्रोत या हाउसिंग बोर्ड या अर्द्ध सरकारी निकायों या स्थानीय निकायों से इसी उद्देश्य से कोई ऋण या अग्रिम ना लिया हो, परन्तु यदि वह अन्य स्रोतों से प्राप्त बकाया ऋण/अग्रिम को ब्याज के साथ एक किस्त में लौटाने का बचन देता है तो आवेदक को गृह निर्माण अग्रिम के नियमों के अन्तर्गत अग्रिम की स्वीकृति दी जा सकती है ।

(v) राज्य भविष्य निधि/सामान्य भविष्य निधि से निकाली गयी कुल राशि तथा इन नियमों के अन्तर्गत लिया गया अग्रिम निर्धारित की गई अधिकतम लागत की सीमा से अधिक ना हो ।

(vi) कर्मचारी या उसकी पत्नी/पति/नाबालिग बच्चे के नाम में उस कस्बे/शहर में पहले से ही कोई मकान नहीं होना चाहिये जहाँ सरकार से अग्रिम लेकर मकान का निर्माण करने या खरीदने का प्रस्ताव है । परन्तु यदि कर्मचारी हिन्दू अविभाजित परिवार का सदस्य है जिसका उस स्थान पर एक मकान हो तो इन नियमों के तहत अग्रिम प्रदान की जा सकती है परन्तु यह राशि सामान्य पात्रता के 60 प्रतिशत तक सीमित होगी ।

(vii) आवेदक के पास भूमि का स्पष्ट स्वामित्व होना चाहिये । भूमि पर कर्मचारी का अपना या अपनी पत्नी/पति के साथ संयुक्त रूप से स्वामित्व होना चाहिये । यह ऋण भार और कुर्क किये जाने से मुक्त होनी चाहिये ।

(viii) यदि अग्रिम, निजी पार्टियों से निर्मित मकान/फ्लैट खरीदने के लिये है, तो मकान/फ्लैट नया होना चाहिये और उसमें कोई भी व्यक्ति ना रहता हो । आवेदक, पंजीकृत मूल्यांकक द्वारा अपने खर्च पर इसका मूल्यांकन कराए ।

5. अग्रिम की राशि :-

(i) (ग्रुप 'ए' एवं 'बी' सेवा के लिये)

अदायगी की क्षमता को दृष्टिपथ में रखते हुए अधिकतम राशि रू0 30.00 लाख रुपये ।

(ii) (ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के लिये)

अदायगी की क्षमता को दृष्टिपथ में रखते हुए अधिकतम राशि रू0 15.00 लाख रुपये ।

नोट :- अगर अदायगी की क्षमता (जो कंडिका 7 में परिभाषित है) अधिकतम राशि से कम होती है तो अदायगी की क्षमता के अनुसार ही राशि स्वीकृत की जायेगी ।

6. लागत सीमा :-

प्रस्तावित भवन निर्माण/फ्लैट क्रय की कुल अनुमानित लागत संबंधित कर्म के मूल वेतन (ग्रेड पे सहित) के 200 गुणा तक हो सकती है परन्तु इसकी अधिकतम सीमा 30.00 लाख होगी । दूसरी ओर यदि वेतन का 200 गुणा 30.00 लाख रुपये से कम होता है तो भी 15.00 लाख तक की लागत का भवन निर्माण/फ्लैट अनुमान्य होगा ।



टिप्पणी:- लागत की अधिकतम सीमा निकालने के लिये पति और पत्नी दोनों के वेतन को ध्यान में रखा जायेगा यदि वे किसी सरकारी या अर्द्ध सरकारी निकाय या स्थानीय शासन में है ।

7. अदायगी की क्षमता :- अग्रिम की मात्रा की गणना के समय यह विशेष रूप से ध्यान रखा जायेगा कि स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिम (मूलधन + ब्याज) की राशि उनके सेवा काल के एक वर्ष पूर्व समायोजित हो जाय। अग्रिम (मूलधन + ब्याज) राशि की वसूली के लिये किस्तों के निर्धारण में यह आवश्यक होगा कि अग्रिम का किस्त एवं अन्य कटौती का योग कुल वेतन का 50 प्रतिशत के अंतर्गत हो। स्वीकृति की तारीख को चल रही ब्याज की दर के आधार पर ब्याज की अनुमानित राशि की गणना की जायेगी। अदायगी की क्षमता की गणना करने के प्रयोजन के लिये ब्याज की निर्धारित दर के ऊपर 2.5 प्रतिशत के अतिरिक्त ब्याज को ध्यान में नहीं रखा जायेगा। मृत्यु एवं सेवामुक्ति उपादान की सीमाओं में बाद में होने वाली बढ़ोतरी से कर्मचारी गृह निर्माण अग्रिम में किसी वृद्धि का पात्र नहीं होगा यदि गृह निर्माण अग्रिम की एक भी किस्त को मृत्यु एवं सेवामुक्ति उपादान की सीमा में संशोधन किये जाने के पहले ही विमुक्त किया जा चुका है।

8. ब्याज की गणना एवं दर :-

- (i) अग्रिम पर प्रथम किस्त के भुगतान की तिथि से साधारण ब्याज देय होगा।
- (ii) ब्याज की गणना प्रत्येक माह के अंतिम दिवस को रहने वाले बकाये राशि के आधार पर की जायेगी।
- (iii) अगर मूलधन के बकाये का भुगतान माह के मध्य तक कर दिया जाता है तो उस माह का ब्याज नहीं लिया जायेगा।
- (iv) यदि प्रशासनिक कारणों से वेतन विलम्ब से निकलता है तो देय ब्याज अवशेष की गणना हेतु वसूली उसी माह में मानी जायेगी, जिस माह का वेतन निकला हो।
- (v) यदि अग्रिम के मूलधन का कोई भाग मृत्यु-सह-उपादान की राशि से समायोजित किया जाना है तो वह सेवानिवृत्ति की तिथि को ही समायोजित समझा जायेगा; उस तिथि के उपरान्त ब्याज देय नहीं होगा।
- (vi) यदि किसी सरकारी सेवक की सेवा काल में मृत्यु हो जाती है एवं मूलधन के किसी भाग का समायोजन उसके मृत्यु-सह-उपादान से होता है तो सरकारी सेवक की मृत्यु की तिथि के बाद ब्याज देय नहीं होगा।
- (vii) स्वीकृत गृह निर्माण अग्रिम पर सूद का दर केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित सूद की दर की तरह निम्नलिखित होगा -

राशि		सूद की दर
(क)	जहाँ स्वीकृत रकम 5.00 लाख रुपये तक हो	8.5 प्रतिशत
(ख)	जहाँ स्वीकृत रकम 5.00 लाख रुपये से अधिक हो	9.5 प्रतिशत

अग्रिम की स्वीकृति के समय उपर्युक्त विहित दर से 2.5 प्रतिशत सूद अतिरिक्त चार्ज किया जायेगा परन्तु स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों के अनुपालन एवं सक्षम पदाधिकारी द्वारा मूलधन की पूरी राशि का ससमय भुगतान का प्रमाण पत्र देने के पश्चात् सूद की दर में 2.5 प्रतिशत की छुट दी जायेगी। परिवार नियोजन के अंतर्गत छोटा परिवार रखने वाले आवेदक को 0.5 प्रतिशत की अतिरिक्त छुट सूद में दी जायेगी।

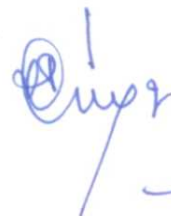
9. पूर्व में स्वीकृत अग्रिम राशि में वृद्धि :-

15.11.2000 के बाद और इस आदेश के निर्गत होने के पूर्व यदि किसी कर्मचारी को गृह निर्माण अग्रिम स्वीकृत हुई हो तो उसे वर्तमान में अनुमान्य अग्रिम एवं पूर्व में स्वीकृत अग्रिम के अन्तर राशि के बराबर की सीमा तक नई अग्रिम स्वीकृत की जा सकती है। अन्तर राशि में पूर्व में स्वीकृत अग्रिम के साथ वृद्धीकरण की राशि भी शामिल की जायगी। इसकी शर्तें निम्नलिखित हैं -

- (क) मकान का निर्माण पूरा नहीं हुआ हो, या मकान/फ्लैट का कब्जा लेने पर दी जाने वाली कीमत अभी ना दी गई हो या कर्मचारी ने पिछला स्वीकृत अग्रिम की पूरी नहीं ली हो।
- (ख) निर्माण की मूल योजना जिसके आधार पर अग्रिम स्वीकृत हुआ था, में किये गये या प्रस्तावित किसी परिवर्तन के आधार पर अतिरिक्त अग्रिम स्वीकृत नहीं किया जायेगा।
- (ग) यदि मूल योजना के आधार पर होने वाले निर्माण की लागत में कुछ परिवर्तन आ रहा हो तो बड़े हुए खर्च पर विचार किया जायेगा। किसी भी सूरत में एक से अधिक अभिवृद्धि की अनुमति नहीं होगी।
- (घ) ऋण लेने वाले के खर्च पर नये अग्रिम धन के लिये प्राक्कलन, पूरक रेहन विलेख, व्यक्तिगत बांड, जमानती बांड तैयार करके निष्पादित होंगे।
- (ङ) पूरी धनराशि कर्मचारी की भुगतान क्षमता को ध्यान में रखकर स्वीकृत की जायेगी ताकि यह सुनिश्चित हो कि कर्मचारी के सेवानिवृत्त होने से पहले वसूली पूरी हो जाये।
- (च) ब्याज की दर पुरानी अग्रिम राशि पर पुरानी ब्याज दरें और नई स्वीकृत राशि पर नई दरें लागू होंगी। पुराने और नये स्वीकृत धनों को जोड़ कर ही कुल स्वीकृत राशि की स्लैब पर ब्याज की दर नई अग्रिम पर लागू होगी।

10. अग्रिम राशि की किस्तों का भुगतान :-

- (क) मकान निर्माण के लिये (एक मंजिल/दुमंजिला मकान) : 50 प्रतिशत बंधन पत्र के निष्पादन पर और शेष 50 प्रतिशत जब भूमि तल के विस्तार में निर्माण प्लिंथ स्तर तक पहुँच जाये और पहली मंजिल के विस्तार में छत तक पहुँच जाये।
- (ख) भूमि की खरीद और निर्माण के लिये (एक मंजिला मकान): 40 प्रतिशत या प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो, एग्रीमेन्ट और जमानत बांड का निष्पादन होने पर। शेष का 50 प्रतिशत बंधन-पत्र का निष्पादन होने पर या बाकी निर्माण के प्लिंथ स्तर तक पहुँचने पर।
- (ग) भूमि की खरीद और निर्माण के लिये (दुमंजिला मकान): एग्रीमेन्ट के निष्पादन पर 30 प्रतिशत या प्लॉट की वास्तविक कीमत, जो भी कम हो; शेष का 50 प्रतिशत बंधन-पत्र का निष्पादन होने पर और बाकी निर्माण के प्लिंथ स्तर तक पहुँचने पर।
- (घ) फ्लैट की खरीद/निर्माण या निर्मित मकान की खरीद पर एक मुश्त भुगतान।
- (ङ) सरकारी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी से मकान/फ्लैट खरीदने पर 30 प्रतिशत बंधन-पत्र के निष्पादन पर और बाकी मांग पर उपयुक्त किस्तों में।



11. अग्रिम के उपयोग के लिये समय सीमायें :-

- (i) प्लॉट/भूमि की खरीद : - दो माह के अन्दर पूरी हो जाये और क्रय के कागजात वित्त विभाग के निरीक्षण के लिये प्रस्तुत कर दिये जायें अन्यथा अग्रिम की रकम ब्याज सहित एक मुश्त वापिस करनी होगी ।
- (ii) बने बनाये मकान की खरीद : - अग्रिम मिलने के तीन माह के अन्दर मकान का कब्जा पूरा हो जाये और उसे सरकार को रेहन रख दिया जाये ।
- (iii) नये फ्लैट की खरीद/निर्माण : - अग्रिम या किस्त लेने के एक माह के भीतर उसका उपयोग हो जाना चाहिये अन्यथा प्राप्त रकम ब्याज के साथ जमा करनी होगी ।

विशेष परिस्थितियों में, वित्त विभाग उपर्युक्त कंडिकाओं में उल्लिखित समय सीमाओं में छुट भी दे सकता है ।

12. अग्रिम की वापसी :-

- (i) अग्रिम तथा इसका ब्याज मासिक किस्तों में 20 वर्ष के भीतर पूरा वापिस कर दिया जाय/अर्थात् किस्तों की अधिकतम संख्या 240 है । (180 किस्तें मूलधन के लिये और 60 किस्तें ब्याज के लिये) ।
- (ii) वापस की जाने वाली राशि पूर्ण रूपयों में निर्धारित की जाए । यदि इसमें एक रुपये से कम की कोई राशि हो तो उसे आखिरी किस्त में वसूल किया जाए ।
- (iii) कर्मचारी चाहे तो कम अवधि में भी भुगतान कर सकता है ।

13. अग्रिम की वापसी की समय सीमा :-

वसूली निम्नलिखित के अनुसार शुरू की जाए :-

- (i) भूमि की खरीद तथा मकान के निर्माण के मामले में, मकान के पूरा हो जाने के बाद के पहले माह के वेतन से अथवा जिस तिथि को प्लॉट की खरीद के लिये अग्रिम स्वीकृत किया गया था, उसके 24 महीने के ठीक बाद के वेतन से, जो भी पहले हो ।
- (ii) मकान के निर्माण के लिये अग्रिम के मामले में मकान के पूरा हो जाने के अगले माह के वेतन से अथवा अग्रिम की प्रथम किस्त की निकासी की तिथि के अठारह माह के ठीक बाद के वेतन से, जो भी पहले हो ।
- (iii) बने बनाये मकान/फ्लैट की खरीद के मामले में, जिस महीने में अग्रिम लिया गया है, के अगले महीने के वेतन से ।
- (iv) यदि अधिकारी चाहे तो अग्रिम की वापसी निर्दिष्ट अवधि से कम समय में भी की जा सकती है ।
- (v) वित्त विभाग की पूर्व सहमति के बिना वसूली न तो रोकी जायेगी और न ही विलम्बित/स्थगित की जायेगी ।



14. **अग्रिम की वापसी: अन्य प्रावधान:-** यदि कोई सरकारी कर्मचारी सामान्य सेवा निवृत्ति/अधिवार्षिता के अलावा किसी अन्य कारण से नौकरी में नहीं रहता या फिर पूरे अग्रिम की वसूली से पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी बकाया राशि उसके बाद से देय हो जायेगी। फिर भी यदि उस समय तक मकान पूरा न हुआ हो और रेहन भी न रखा गया हो, तो सरकार, सुयोग्य मामलों में, ब्याज सहित बकाया राशि की वसूली आसान किशतों में करने की इजाजत दे सकती है।

(2) यदि सरकारी कर्मचारी या उसका उत्तराधिकारी किसी कारणवश अग्रिम को पूरा नहीं लौटाता तो सरकार को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वह मकान को रेहन रख ले और बकाया राशि को ग्रेच्युटी से या मकान बेचकर या उत्तराधिकारी को भुगतने अन्य राशि या अन्य प्रकार से वसूल करने के लिए कार्यवाई करे।

15. **बंधन पत्र की वापसी (रिकन्वेयन्स आफ डीड) :-** जब लिये गए अग्रिम को ब्याज सहित पूरा-पूरा लौटा दिया जाएगा तो सरकार को रेहन रखी गई सम्पत्ति को विनिर्दिष्ट रूप में अधिकारी को पुनः लौटा दिया जायेगा। पुनः लौटाने का विलेख वित्त विभाग को सामान्यतः राज्यपाल की ओर से रेहन-विलेख को स्वीकार करता है, द्वारा निष्पादित किया जाएगा पुनः लौटाने के विलेख को पंजीकृत कराया जाना अनिवार्य है। "रिकन्वेयन्स डीड" के निष्पादन में और पंजीकरण में जो भी खर्चा आएगा वह संबंधित अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा। जैसे ही रिकन्वेयन्स डीड का निष्पादन व पंजीकरण हो जाता है, तो यह संबद्ध अधिकारी को उसके द्वारा पहले ही जमा कराए जा चुके रेहन विलेख विक्रय विलेख व अन्य दस्तावेजों के साथ लौटा दिया जाए। यदि किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु वसीयतनामा लिखे बिना हो जाती है और अग्रिम की वसूली ग्रेच्युटी या किसी और स्रोत से की जाय तो उसके कानूनी उत्तराधिकारी के नाम रिकन्वेयन्स डीड कर दी जाए। यदि एक से ज्यादा कानूनी उत्तराधिकारी हो तो अन्य उत्तराधिकारियों से कोई अनापत्ति शपथ पत्र प्राप्त करके, किसी एक उत्तराधिकारी के नाम रिकन्वेयन्स-डीड की जा सकती है।

16. **बीमा :** मकान/प्लैट के निर्माण कार्य के पूरा होने/खरीदने के तत्काल बाद, सरकारी कर्मचारी साधारण बीमा निगम की मान्यता प्राप्त इकाईयों में से (किसी एक के साथ) उस मकान का बीमा करवा लेगा। बीमे की रकम अग्रिम की रकम से कम नहीं होगी और आग, बाढ़ व तड़ित से क्षति होने के विरुद्ध यह बीमा वह तब तक जारी रखेगा जब तक समस्त अग्रिम व उसके ब्याज की वापसी न कर दी जाए। वित्त विभाग के पास यह पॉलिसी को जमा करा देगा/बीमे का नवीकरण प्रति वर्ष किया जाएगा व प्रीमियम की रसीदें वित्त विभाग के निरीक्षण के लिए नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) बीमा न कराए जाने (नॉन इश्योरेंस) की मुआफ़ी : सरकार नान इश्योरेंस की अवधि को एक वर्ष तक माफ करने के लिए सक्षम है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि सरकारी कर्मचारी द्वारा जान-बूझकर यह अनियमितता नहीं की जाती वरन् ऐसी परिस्थितियों के कारण हुआ जो उसके नियंत्रण से बाहर है। यदि को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाईटी से मकान लिया गया है और सोसाईटी ने बीमा कराया है तो बीमे की जरूरत नहीं है। किन्तु जहाँ उसके विस्तार की जरूरत हो तो वैसा किया जाये।

17. अन्य शर्तें जो उपर्युक्त में अंकित नहीं हैं उन विन्दुओं पर केन्द्र सरकार के गृह निर्माण अग्रिम नियमावली में निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रिया लागू होगी।

18. यह निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा। इसके निर्गतोपरान्त गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों को उपरोक्त नियम/शर्त/प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होगा। परन्तु इसके निर्गत होने की तिथि के पूर्व जिन आवेदकों ने गृह निर्माण अग्रिम हेतु आवेदन वित्त विभाग में उपलब्ध करा दिया है एवं आवेदन पूर्व में निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रिया के अध्यक्षीन अग्रिम लेने का लिखित विकल्प देते हैं तो उन्हें पूर्व के नियम/

शर्त/प्रक्रिया के अध्यक्ष भी स्वीकृति दी जा सकेगी, परन्तु वैसे अग्रिम प्राप्तकर्ता को नवीन गृह निर्माण अग्रिम नियमावली के अन्तर्गत अभिवृद्धि का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

19. इस नियमावली के अन्तर्गत निर्धारित नियम/शर्त/प्रक्रिया की व्याख्या करने और आवश्यकतानुसार क्षांत/संशोधित करने का अधिकार वित्त विभाग, झारखण्ड सरकार को होगा ।

20. प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति वित्त विभागीय संलेख ज्ञापांक 1064/वि0अ0, दिनांक 17-09-2014 के कम में दिनांक 30-09-2014 की बैठक के मद सं0 29 में दी गई है ।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची/सभी विभाग एवं विभागाध्यक्ष को प्रेषित किया जाय ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,



(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव ।

राँची, दिनांक - 10.10.14

ज्ञापांक- 7/वि0विविध-05/2013 - 1113/वि.अ-

प्रतिलिपि-महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव ।

राँची, दिनांक - 10.10.14

ज्ञापांक- 7/वि0विविध-05/2013 - 1113/वि.अ-

प्रतिलिपि-महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त सचिव/सभी प्रधान सचिव/सचिव/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त/सभी कोषागार/उप-कोषागार पदाधिकारी, झारखण्ड के सभी पदाधिकारी/जन सूचना कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड/श्री सरोज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, पी0एम0यु0 कोषांग, वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।



(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव ।

राँची, दिनांक - 10.10.14

ज्ञापांक- 7/वि0विविध-05/2013 - 1113/वि.अ-

प्रतिलिपि-सहायक अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरंडा, राँची को इस आदेश के साथ प्रेषित कि वे इस संकल्प का प्रकाशन राजपत्र के असाधारण अंक में करके e-गजट के रूप में वित्त अग्रिम शाखा को सूचना उपलब्ध करावें ।



(राजबाला वर्मा)

सरकार के प्रधान सचिव ।

9.10.2014